न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 69/2020

GCMS NO. : 2020/00193

–:: वादी :–

1. जगदीश चन्द्र पुत्र गणपत लाल माली जाति माली निवासी बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान जरिये आम मुख्त्यारधारक किशोर चौधरी पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी बाझांकुड़ी रोड़ जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण :–

1. कालूराम पुत्र चन्द्राराम
   1/1. कैलाश पुत्र कालूराम
   1/2. चैनाराम पुत्र कालूराम
   1/3. सन्तोष पुत्र कालूराम
2. ओमप्रकाश पुत्र चन्द्राराम
3. घनश्याम पुत्र चन्द्राराम
4. दिनेश पुत्र चन्द्राराम
5. लीला देवी पुत्री चन्द्राराम
6. कौशल्या देवी पुत्री चन्दाराम
7. सुरजी देवी पत्नि चन्द्राराम
8. रेखा पत्नि राजूराम
9. वासू गेहलोत पुत्र राजूराम
10. भावना पुत्री राजूराम
11. मिश्रीलाल पुत्र हरदेव राम
   सभी जातियान– माली निवासीगण– जैतारण, जिला पाली राज0।
12. भेराराम पुत्र छोगाराम जाति माली निवासी लक्ष्मणगढ़ तहसील रायपुर जिला पाली राज0।
13. तहसीलदार जैतारण, जिला पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — **तारीख रजू:.14.09.2020**

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 02/02/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 12 की शामलाती, खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा [illegible] पटवार हल्का जैतारण अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र जैतारण तहसील– जैतारण जिला– पाली(राज0) [illegible] नम्बर 31/3 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा व खसरा नम्बर 31/11 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा [illegible] का 2/15 वा हक हिस्सा व अधिकार तथा शेष भूमि प्रतिवादीगण की है। जिसकी चालू जमाबन्दी इस वादपत्र के साथ पेश है। इस भूमि को वादपत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। विवादित भूमि के पद संख्या 01 में वर्णित अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.02.15 14:11:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 12 का मौके पर कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि मौके पर आपसी सहमति से पक्षकारों के बीच पिछले काफी समय से बंटी हुई है। लेकिन भूमि के बंटवाड़े का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होकर उक्त भूमि शामलाती दर्ज है। इस प्रकार से उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज होनें की वजह से प्रतिवादी संख्या 01-12 आये दिन इस भूमि के नाप-चौंप सीमा व माठ को लेकर वादी से विवाद करते रहे हैं। जबकि वादी अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा करवाकर उसका भू-रूपान्तरण करवाना चाहता है जिसमें प्रतिवादीगण सहमत नही है। इस प्रकार से वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 12 की इस संयुक्त और सामलाती रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउडण्स के बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 से 12 इसमें सहमत नहीं हो रहे है। तथा दिनांक 09.09.2020 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से 12 से कथन किया की इस भूमि के नाप चोप को लेकर भविष्य में कोई विवाद नहीं हो इस वजह से आप इस भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लेवे तथा कोई विवाद नहीं करें। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 से 12 व उनके परिवार वाले सहित सभी प्रतिवादी संख्या 01 से 12 आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने से इन्कार हो गए है। जबकि भूमि वादी की खरीद सुदा है। जो मौके पर आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है। उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण विवाद कर रहे है। जबकि वादी अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने का वैधानिक अधिकारी है, लेकिन प्रतिवादीगण उसमें सहमत नही है। जिस पर वादी के पास इस हेतु यह वादपत्र बाबत बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाने हेतु पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत बंटवाड़ा का बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 12 के बीच संयुक्त व शामलाती राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन उक्त भूमि पक्षकारों के बीच मौके पर पिछले काफी समय से आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है एंव वादी इसी अनुसार अपनी उक्त विवादित भूमि का बंटवाड़ा भी बाई मिंटस एण्ड बाउण्डस के करवाना चाह रहा है, लेकिन प्रतिवादीगण उसमें सहमत नही हो रहे है जिससे पक्षकारो के बीच विवाद है तथा दिनांक 09.09.2020 को प्रतिवादी संख्या 01 से 12 ने इस विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाने से इन्कार करते हुये वादी को ऐलानिया कथन किया कि वह मौके पर से वादी को पूरा ही बेकाबिज कर देगें तथा अन्य किसी व्यक्ति को बैचान हस्तान्तारण कर देगें। जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है। उसके बावजूद भी यदि प्रतिवादीगण उक्त दुष्कृत्य करने में सफल हो जाते है एवं यदि उक्त प्रतिवादीगण वादी को लाठी लकड़ी के बल पर इस विवादित भूमि से बेकाबिज कर देते हैं तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। साथ ही इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करने से विवाद बढ़ेगा एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंगस होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में वादी के पास अदालत श्रीमान के समक्ष यह वादपत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 13 भूमिधारी राजस्थान सरकारी के प्रतिनिधि जिनके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का वैधानिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वादी का यह वादपत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.02.15 14:11:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अत्यंत ही आवश्यक प्रकृति का है दो माह की अवधि पूर्व होने तक प्रतिवादी संख्या 01 से 12 वादी को इस भूमि से पूर्णतया बेदखल कर देगें। तब ऐसी परिस्थितियों में नोटिस देना डिसपेंन्स विथ कर यह वादपत्र पेश किया जा रहा है। जिसके बाबत् धारा 80 (2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया है। बिनाय वाद दिनांक 09.09.2020 को प्रतिवादी संख्या 01 से 12 द्वारा वादी से इस विवादित भूमि की मौका स्थिति को लेकर विवाद करते हुये बंटवाड़ा करवाने से इंकार करते करने पर बमुकाम जैतारण तहसील–जैतारण जिला–पाली में पैदा हुआ जो अंदर म्याद एवं अदालत श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 12 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, वकील प्रतिवादी संख्या 12 जवाब दावा पेश नहीं करना चाहते है, जवाबदावा बन्द किया जाता है। वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 12 ने सहमति से जाहिर किया कि माफिक राजस्व रेकर्ड वादी एवं प्रतिवादी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जाये तो कोई आपत्ति नहीं है। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 12 पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा रतनपुरा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 सम्वत् 2074–2077 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 12 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 31/3 रकबा 04–07 बीघा व खसरा नम्बर 31/11 रकबा 02–03 बीघा कुल खसरा 02 कुल रकबा 06–10 बीघा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 12 के हक–हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि राजस्व मौजा रतनपुरा पटवार हल्का जैतारण अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र जैतारण तहसील– जैतारण जिला– पाली(राज0) में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 31/3 रकबा 04–07 बीघा व खसरा नम्बर 31/11 रकबा 02–03 बीघा कुल खसरा 02 कुल रकबा 06–10 बीघा किस्म चाही सोयम में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण [illegible] वाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/14 दिनांक 12/01/202[illegible] आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक[illegible] दिनांक 25/01/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभा[illegible]न प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.02.15 14:11:31 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी

जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा रतनपुरा पटवार हल्का जैतारण अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र जैतारण तहसील– जैतारण जिला– पाली(राज०) में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 31/3 रकबा 04–07 बीघा व खसरा नम्बर 31/11 रकबा 02–03 बीघा कुल खसरा 02 कुल रकबा 06–10 बीघा किस्म चाही सोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 12 के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म
1	जगदीश चन्द्र पुत्र गणपतलाल कौम माली सा0 बालून्दा खातेदार	31/30	0-17	चाही सोयम
2	कालूराम ओमप्रकाश घनश्याम दिनेश पि0 चन्द्राराम, लीलादेवी कौशल्यादेवी पुत्री चन्द्राराम, सुखी पत्नि चन्द्राराम, रेखा पत्नि राजूराम, वासू गहलोत पुत्र राजूराम, भावना पुत्री राजूराम, मिश्रीलाल पुत्र हरदेवराम सा0 जैतारण, भैराराम पुत्र छोगाराम कौम– माली सा. लक्ष्मणगढ़ तहसील रायपुर खातेदार	31/3	3-10	चाही सोयम
		31/11	02-03	चाही सोयम
		योग 2	**5-13**	**चाही सोयम**
	योग	**3**	**06-10**	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 02/02/2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.02.15 14:11:31 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–:: वादी :–

1. जगदीश चन्द्र पुत्र गणपत लाल माली जाति माली निवासी बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान जरिये आम मुख्त्यारधारक किशोर चौधरी पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी बाझांकुड़ी रोड़ जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण :–

1. कालूराम पुत्र चन्द्राराम
   1/1. कैलाश पुत्र कालूराम
   1/2. चैनाराम पुत्र कालूराम
   1/3. सन्तोष पुत्र कालूराम
2. ओमप्रकाश पुत्र चन्द्राराम
3. घनश्याम पुत्र चन्द्राराम
4. दिनेश पुत्र चन्द्राराम
5. लीला देवी पुत्री चन्द्राराम
6. कौशल्या देवी पुत्री चन्दाराम
7. सुरजी देवी पत्नि चन्द्राराम
8. रेखा पत्नि राजूराम
9. वासू गेहलोत पुत्र राजूराम
10. भावना पुत्री राजूराम
11. मिश्रीलाल पुत्र हरदेव राम
   सभी जातियान– माली निवासीगण– जैतारण, जिला पाली राज0।
12. भेराराम पुत्र छोगाराम जाति माली निवासी लक्ष्मणगढ़ तहसील रायपुर जिला पाली राज0।
13. तहसीलदार जैतारण, जिला पाली राज0।

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 69/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री रामस्वरूप चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा रतनपुरा पटवार हल्का जैतारण अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र जैतारण तहसील– जैतारण जिला– पाली(राज0) में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 12 की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 31/3 रकबा 04–07 बीघा व खसरा नम्बर 31/11 रकबा 02–03 बीघा कुल खसरा 02 कुल रकबा 06–10 बीघा किस्म चाही सोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के एक हिस्से [illegible] का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.02.15 14:11:31 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म
1	जगदीश चन्द्र पुत्र गणपतलाल कौम माली सा0 बालून्दा खातेदार	31/30	0-17	चाही सोयम

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

2	कालूराम ओमप्रकाश घनश्याम दिनेश पि0 चन्द्राराम, लीलादेवी कौशल्यादेवी पुत्री चन्द्राराम, सुखी पत्नि चन्द्राराम, रेखा पत्नि राजूराम, वासू गहलोत पुत्र राजूराम, भावना पुत्री राजूराम, मिश्रीलाल पुत्र हरदेवराम सा0 जैतारण, भैराराम पुत्र छोगाराम कौम- माली सा. लक्ष्मणगढ़ तहसील रायपुर खातेदार	31/3	3-10	चाही सोयम
		31/11	02-03	चाही सोयम
		योग 2	**5-13**	**चाही सोयम**
	योग	3	**06-10**	

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंट्वाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **02/02/2021** को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	02-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	–	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	08-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	–	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–	मुत्फरिक	
मिजानः–		मिजानः–	01-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.02.15 14:11:31 IST
Reason: SelfAttested